न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 198/2023 (GCMS No. 2023/206) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मानसिंह पुत्र कमलसिंह जाति लोधा निवासी पहाडी तहसील पहाडी जिला डीग।

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी।
2. अर्जन दास पुत्र श्री सोहनलाल जाति वैश्य निवासी पहाडी तहसील पहाडी। .....असल रेस्पोडेन्ट
3. जंगसिंह पुत्र श्री कमलसिंह जाति लोधा निवासी पहाडी तहसील पहाडी।
4. भगवानसिंह पुत्र श्री केसरीसिंह जाति लोधा निवासी पहाडी तहसील पहाडी।
5. संजीव कुमार पुत्र श्री नत्थीलाल जाति वैश्य निवासी पहाडी तहसील पहाडी।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी जिला डीग दिनांक 20.10.2023 मुकदमा नं. 21/2021 उनवानी मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार वगै. अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थिति:–

1. अपीलांट की ओर से श्री हनुमान प्रसाद गोयल, वकील।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय पैरोकार।
3. रेस्पोडेन्टस संख्या 2लगा. 5 की ओर से श्री रामेश्वर दयाल वकील।

नि र्ण य **दिनांक : 02.02.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत निर्णय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के आदेश दिनांक 20.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3884 रकवा 41 ऐयर किस्म वारानी वांके पहाडी द्वितीय अपीलांट एवं तरतीवी रेस्पोडेन्टस की खातेदारी में है। रेस्पो. संख्या 4 का 6 ऐयर, अपीलांट एवं जंगासिंह 29 ऐयर, रेस्पो. 5 का 3 ऐयर, रेस्पो. संख्या 2 का 3 ऐयर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.02.2023 में उक्त आराजी में सरसों बुवाई कर कब्जे काश्त बताई है। इसी प्रकार तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 13.03.2023 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी पहाडी को रिपोर्ट पेश की है जिसके पैरा नं. 2 में पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुये सरसों बुवाई कर कब्जे व काश्त में बताया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3884 से लगता हुआ ख.नं. 3887 रकवा 53 ऐयर गैर मुमकिन सडक बताया है। उक्त दोनों खसरा नम्बरों को पटवारी व तहसीलदार ने अलग–अलग बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट गलत रूप से खारिज किया है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक तथा तरतीवी रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगा. 5 की ओर से श्री रामेश्वर दयाल हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3884 रकवा 41 ऐयर किस्म वारानी वांके पहाडी द्वितीय अपीलांट एवं तरतीवी रेस्पोडेन्टस की खातेदारी में है। रेस्पो. संख्या 4 का 6 ऐयर, अपीलांट एवं जंगासिंह 29 ऐयर, रेस्पो. 5 का 3 ऐयर, रेस्पो. संख्या 2 का 3 ऐयर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.023.2023 में उक्त आराजी में सरसों बुवाई कर कब्जे काश्त बताई है। इसी प्रकार तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 13.03.2023 को उपखण्ड अधिकारी पहाडी को रिपोर्ट पेश की है उसमें भी अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेन्टस को खातेदार दर्ज रिकार्ड बताया है तथा रिपोर्ट के पैरा नं. 2 में पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुये भगवानसिंह को 6 ऐयर, अपीलांट एवं जंगासिंह को 29 ऐयर, संजीव कुमार को 3 ऐयर, अर्जनदास को 3 ऐयर पर सरसों बुवाई कर कब्जे व काश्त में बताया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 3884 से लगता हुआ आराजी ख. नं. 3887 रकवा 53 ऐयर गैर मुमकिन सडक बताया है। इस प्रकार आराजी ख.नं. 3884 व 3887 दोनों अलग अलग है जिसको पटवारी एवं तहसीलदार ने अलग–अलग बताया है। हाल ख.नं. 3884 वांके पहाडी द्वितीय साविक आराजी ख. नं. 3158 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा से बना है और नामांतरकरण संख्या 1068 से किस्म बारानी दर्ज हुई है। जिसपर विश्वास न कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय किया है और अपनी ओर से केस बनाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को गलत खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने 2 बीघा 15विस्वा का 44 ऐयर रकवा नई नाप के अनुसार होने के कारण वर्तमान आराजी ख.नं. 3884 रकवा 41 ऐयर होने के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमावंदी संवत् 2027 लगायत 2030, संवत् 2031 लगायत 2034, संवत् 2035 लगायत 2038 में 41 ऐयर होने के आधार पर रकवा कम करने का कोई उल्लेख न होने का आधार लेकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जबकि प्रार्थना पत्र में आराजी की किस्म वारानी के बजाय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का विवाद था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पहाडी का निर्णय दिनांक 20.10.2023 निरस्त किया जावे एवं आराजी ख.नं. 3884 रकवा 41 ऐयर की किस्म रास्ता की जगह वारानी दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट में आराजी खसरा नम्बर 3884 रकवा 0.41 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता को दुरूस्त कर आवंटन एवं गत ख.नं. 3158 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा एवं नामांतरकरण संख्या 1068 के आधार पर आराजी की किस्म बारानी दर्ज करने हेतु निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी पहाडी द्वारा तहसीलदार पहाडी से पत्र दिनांक 23.12.2023 से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पहाडी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.03.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी में प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 19 के खसरा नम्बर 3884 रकवा 41 ऐयर किस्म गै.मु. रास्ता में भगवानसिंह पुत्र केशरी सिंह 6/41 हिस्सा, जंगासिंह, मानसिंह पि. कमलसिंह 58/82 हिससा जाति लोधा, संजीव कुमार पुत्र नत्थीलाल 3/41 हिस्सा, अर्जनदास पुत्र सोहनलाल 3/41 हिस्सा जाति वैश्य सा. कस्वा पहाडी खातेदार दर्ज रिकार्ड है और वर्तमान में फसल सरसों की बुवाई कर कब्जेकाश्त है। इसी प्रकार मुताविक मौका के आराजी ख.नं. 3884 रकवा 41 ऐयर आराजी खसरा नम्बर 3887 रकवा 53 ऐयर गैर मुमकिन सडक से लगता हुआ है। तहसीलदार पहाडी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आराजी ख.नं. 3887 रकवा 0.53 हैक्टे. गैर मुमकिन सडक है और विवादित आ.ख.नं. 3884 रकवा 0.41 हैक्टे. इस सडक से लगा हुआ है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल आराजी ख.नं. 3884 रकवा 0.41 हैक्टे. साबिक आराजी ख.नं. 3158 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा से कायम किया गया है तथा नामांतरकरण संख्या 1068 के कॉलम नं. 6 में साबिक आराजी ख.नं. 3158 की किस्म बारानी दर्ज पायी जाती है तथा इस आराजी का नियमितिकरण अपीलांट के पिता कमलसिंह को किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जमाबंदियों में भी साबिक आराजी के बारे में जहां गै. मु. रास्ता अंकित है वहीं पर बारानी का भी अंकन पाया जाता है। इसके अलावा तहसीलदार पहाडी की मौका रिकार्ड से यह भी बखूबी स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर फसल काश्त हो रही है और यह आराजी गैर मुमकिन सडक के खसरा नम्बर से लगी हुई है जो सडक की बाउण्ड्री से सटी हुई है लेकिन रोड में आना प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी फसल बुवाई के काम आ रही है न कि रास्ते के काम आ रही है। इसके अलावा पक्षकार द्वारा रकवा वृद्धि का कथन किया गया तो यह तथ्य सही है कि हाल ख.नं. 3884 साबिक नं. 3158 के रकवा 2 बीघा 10 विस्वा से सही ही मुताबिक मौका कायम हुआ होगा और ऐसे में रकवा वृद्धि का तर्क सही प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट की अपील केवल किस्म परिवर्तन की सीमा तक ही स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी का निर्णय दिनांक 20.10.2023 निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 3884 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर बारानी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रति करते हुये भगवानसिंह को 6ऐयर,अपीलांट एवं